राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत मिर्जेवाला

# उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2017**

1. रणवीर पुत्र श्री दलीपकुमार
2. विध्या पत्नी श्री दलीपकुमार
3. कैलाशदेवी पुत्री श्री दलीपकुमार
4. सन्तरो देवी पुत्री श्री दलीपकुमार
5. सत्यनारायण पुत्र श्री दलीपकुमार

} जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व व जिला श्रीगंगानगर।

A15

– – **प्रार्थीगण**

## –:: बनाम ::–

1. फत्ताराम (फौत)
   - 1.1 गुड्डीदेवी पत्नी श्री फत्ताराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.2 अनसुईया पुत्री श्री फत्ताराम पत्नी श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
   - 1.3 पुष्पा पुत्र श्री फत्ताराम पत्नी श्री प्रेम साई जाति जाट निवासी ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.4 चन्द्रकला पुत्री श्री फत्ताराम पत्नी श्री गौरीशंकर जाति जाट निवासी डूगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
   - 1.5 लक्ष्मी पुत्री श्री फत्ताराम पत्नी श्री विनोद जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.6 सहदेव पुत्र श्री फत्ताराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.7 उर्मिला देवी पुत्री श्री फत्ताराम पत्नी श्री राजेश कुमार जाति जाट निवासी किसनपुरा उत्तराधा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. भागीरथ पुत्र श्री सरदाराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मीतसिंह सेखों पुत्र श्री नरसिह सेखों जाति जटसिख निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## –:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री हरीश कुमार सोनी अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1.1 ता 3

## – :: निर्णय ::–

**दिनांक :– 01.06.2017**

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1.1 ता 3 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 एफ बड़ा के खाता संख्या 47/43 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 3

लगातार ..... 2

ता 8 में 1.518 हैक्टर, किला नम्बर 14 ता 17 में 1.012 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है नकल मौजूदा जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

A15/2

चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 9 में दर्ज किला नम्बर 1/2 से 5/2 तक 0.127 हैक्टर रकबा में प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर 0.042 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 11 एफ बड़ा के खाता संख्या 50/48 के मुरब्बा नबर 4 के किला नम्बर 21 ता 24 में 1.012 हैक्टर किला नम्बर 21/1 मं 0.127 हैक्टर कुल 1.390 हैक्टर रकबा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज है नकल मौजूदा जमाबन्दी शामिल है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 11 एफ बड़ा की खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2 में 0.126 हैक्टर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से दर्ज है नकल मौजूदा जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 11 एफ बड़ा की खाता संख्या 69/66 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है नकल मौजूदा जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 11 एफ बड़ा की खाता संख्या 43/42 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में 3.946 हैक्टर रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1 /1 से 1/6 के पति, पिता के नाम व अप्राार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है नकल मौजूदा जमाबन्दी शामिल है।

प्रार्थी अपनें खेत चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 4 में दर्ज 10 बीघा कृषि भूमि में जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21 ता 25 में मन्जूर शुद्धा रास्ता से होकर इसी मुरब्बा के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 में से होकर मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 में से हाकर अपनें मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 16 में प्रवेश करता है इसके अलावा प्रार्थी को अपनें खेत में जानें के लिये नजदीक या दूर का रास्ता नहीं है। जिससे प्रार्थी अपनें खेत में आ जा सके।

मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 में से 1 बिस्वा रास्ता पूर्व में सहकाश्तकारों की सहमति से ख्ला आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1/6 द्वारा मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 में 11 फुट रास्ता चल रहा है कि सहमति उसके द्वारा मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21 ता 25 की 5 बीघा भूमि जो मौजूदा समय में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से है जो उसनें छिन्द्रसिंह जसमेलसिंह पिसरान श्री अन्तरसिंह जटसिख से खरिद की थी में इस तथ्य का उल्लेख है नकल बैयनामा की फोटो कापी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से मुरब्बा नम्बर 4 के काश्तकारों के लिये रास्ता हेतु 1–1 बिसवा रास्ता स्वर्गीय श्री फत्ताराम व उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1/6 सहदेव द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में पंचायत की बैठक में दिनांक 21.02.1987 को लेख कर दिया था जिस लिखित द्वारा भी अप्रार्थीगण इस चालू रास्ता के निर्णय से पाबन्द है नकल लिखित दिनांक 21.02.1997 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थीगण फसल हाड़ सावनी कटाई बढ़ाई के वक्त उपरोक्त मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के चालू रास्ता को जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है में आनें जानें में व्यवधान पैदा करते है व गाली गलौच करते है, इस कारण इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंन्जूर करवाना आवश्यक व जरूरी है।

प्रार्थी नें कई बार अप्रार्थी से कहा की मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में एक एक बिस्वा रास्ता जो चालू है, को

लगातार ........... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

राजस्व रिकार्ड में मन्जूर करवानें के लिये आप सक्ष्म अधिकारी के यहां सहमति दे दो ताकि यह चालू रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जूर हो जावे। इसके बदले प्रार्थी आप अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. की दुगनी राशी देनें को तैयार है अप्रार्थीगण पहले तो आजकल आजकल करते रहे और फिर सात रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये और कहनें लगे कि हम तो इस चालू रास्ता को बन्द करेगे, हम इस रास्ता को मन्जूर नहीं होने देगे। हम डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशी लेनें को तैयार नहीं है तुम्हे जो करना है सो करों बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। जो कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ हासिल हुआ है।

खातेदार फत्तराम फौत हो चुका है इस कारण उसके वारिसान को उसकी जगह पक्षकार बनाया गया है अन्य सहकाश्तकार है इसलिये उन्हे प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

प्रथम दृष्टया मामला सुविधा व सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। तथा अब फसल कटाई, बढ़ाई व बिजाई, का अहम समय है अगर इस दौरान चालू रास्ता को अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया या कोई रूकावट पैदा कर दी तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से हर्जाना से नहीं हो सकेगी तथा प्राथी की फसल बर्बाद हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1–1 बिस्वा मन्जूर किया जावे प्रार्थी इसके बदले डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशी देने को तैयार है अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत मुझ प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 11 एफ बड़ा की जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 10 का किला नम्बर 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 3.946 हैक्टर भूमि फत्तराम पुत्र मुखराम तथा भागीरथ पुत्र सरदाराराम 6.033 हैक्टर खातेदारी दर्ज है, जो कि एस.बी.बी.जे बैक मिर्जेवाला के नाम से रहन दर्ज है। खाता संख्या 69 पर मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.138 हैक्टर नहरी व 0.127 हैक्टर खाला कुल 1.265 हैक्टर कृषि भूमि सहदेव पुत्र फत्तराम के नाम से दर्ज है, जो कि एस.बी.बी.जे बैक मिर्जेवाला के नाम से रहन दर्ज है। खाता संख्या 55 पर मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25/2 में 0.101 हैक्टर व 0.025 हैक्टर खाला कुल 0.126 हैक्टर भूमि मितसिंह सेखों पुत्र श्री नरसिंह सेखों के नाम से खातेदारी दर्ज है व खाता संख्या 50 नी मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21 ता 24 सालम व 25/1 में 0.127 हैक्टर कुल 1.139 हैक्टर कृषि भूमि भागीरथ पुत्र सरदाराराम के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि एस.बी.बी.जे बैक मिर्जेवाला के नाम से रहन दर्ज है। सभी सहखातेदारा को पक्षकार बनाया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा चक 11 एफ बड़ा में नजदीक अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है।

चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता है जो मौके पर चल रहा है। मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 में मुरब्बा लाईन पर प्रत्येक में 8–1/4 फुट रास्ता चल रहा है उसके बाद किला नम्बर 5 में रास्ता दिवार से बन्द है।

प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1.1 से 1.3 तथा 1.5 से 3 द्वारा राजीनामा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया जिसको प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये प्राथीगण की पहचान श्री पवन कुमार शाक्य अधिवक्ता तथा अप्रार्थीगण संख्या 1.1 ता 1.3 तथा 1.5 ता 3 की पहचान श्री हरीश कुमार सोनी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार ..... 4

राजीनामा के अन्तर्गत कथन किया कि हम दोनों प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष 1.1 से 1.7 सगे भाईयो के वारिस है दोनों पक्षकारान व अन्य सहकाश्तकारान की गांव की पंचायत व नजदीकी मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवा दिया है तथा राजीनामा के अनुसार चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 जो कि अप्रार्थी 2 व 3 के है जो कि द्वितीय पक्ष है जिसमें दोनों का आधा आधा हिस्सा है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 नें अपनी सहमती से अपने हिस्सा के रकबा में देनें में बिना किसी मुआवजा के अपनी सहमति दे दी है। व अप्रार्थी सख्या 3 नें अपनें हिस्सा के रकबा में से 82 फुट लम्बाई में तथा 12 फुट चौड़ाई में रास्ता पूर्व पश्चिम देनें में सहमति दी है जो कि बिना किसी मुआवजा के दी है, मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 जो कि अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 का है में 1–1 बिस्वा रास्ता के बदले में प्रथम पक्ष के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1/2 से 1/5 में से 0.042 हैक्टर रकबा व नगद 50,000/– रूपये रास्ता के क्षतिपूर्ति के रूप में दिये है तथा दोनों पक्षों की सहमति से इस चालू रास्ता वाके चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता मन्जूर किया जावे तो हम पक्षकारान को एतराज नहीं है।

राजीनामा बिना किसी जबर दबाव के स्वेच्छा से लिख दिया है जिसे सुन समझ व सही मानकर अपनें हस्ताक्षर किये है उक्त राजीनामा के अनुसार रास्ता का अंकन किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1.4 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अन्तर्गत वाद पत्र को स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थन्ना पत्र स्वीकार किया जाता है, तो तो मुझ अप्रार्थी को को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण के सन्दर्भ में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा राजीनामा के कथनों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि बाद आवलोकन प्रकरण में लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत उभयपक्ष के राजीनामा के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को रास्ता की भूमि के बदले मुआवजा के रूप में मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1/2 से 1/5 में से 0.042 हैक्टर रकबा व नगद 50,000/– रूपये रास्ता के क्षति पूर्ति के रूप में दिये जा चुके है। अतः चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1–1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता तथा रास्ते के मुआवजा स्वरूप नम्बर 9 के किला नम्बर 1/2 से 1/5 में से 0.042 हैक्टर दी जानें वाली भूमि अप्रार्थीगण 1.1 ता 1.7 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 01.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के मजमे आम में सुनाया गया।